भारतीय मानक ब्यूरो की SDO मान्यता योजना

प्रलिम्सि के लयि

अनुसंधान डज़िाइन और मानक संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, 'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन

मेन्स के लयि

'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन का महत्त्व और आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे का 'अनुसंधान डज़िाइन और मानक संगठन' (RDSO) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन के तहत 'मानक वकिास संगठन' (SDO) घोषति होने वाला पहला संस्थान बन गया है।

- 'अनुसंधान डज़िाइन और मानक संगठन' ने BSI SDO मान्यता योजना के तहत 'मानक वकिास संगठन' (SDO) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की है।

अनुसंधान डज़िाइन और मानक संगठन

- यह लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थति रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं वकिास वगि है, जो रेलवे क्षेत्र के लयि मानकीकरण का कार्य करने वाले प्रमुख नकिाय के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रमुख बदिु

परचिय

- 'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन के वचिार की कल्पना पहली बार वर्ष 2019 में की गई थी, इसकी परकिल्पना देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनश्चिति करने के लयि 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना की तर्ज पर की गई थी।
- भारत सरकार के 'एक राष्ट्र एक मानक' वज़िन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लयि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक योजना शुरू की है, जसिके तहत 'मानक वकिास संगठन' (SDO) की मान्यता प्रदान की जाती है।
- यह मान्यता 3 वर्ष के लयि वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

उद्देश्य

- वशिष्टि क्षेत्रों में मानकों के वकिास में संलग्न वभिन्नि संगठनों के पास उपलब्ध क्षमताओं और समर्पति डोमेन वशिष्टि वशिषज्ञता को एकत्रति और एकीकृत करना।
    - इसका उद्देश्य कसिी दयि गए उत्पाद के लयि एक मानक टेम्पलेट वकिसति करना है, बजाय इसके कि वभिन्नि एजेंसयिों द्वारा वभिन्नि प्रकार के मानक वकिसति कयि जाएँ।
- देश में सभी मानक वकिास गतविधियिों के अभसिरण को सक्षम करना, जसिके परणािमस्वरूप देश में एक वषिय के लयि एक राष्ट्रीय मानक मौजूद होगा।
    - यह लंबे समय तक ब्रांड इंडयिा को स्थापति करने में मदद करेगा। यह भारतीय मानकों के लयि बाज़ार की प्रासंगकिता भी सुनश्चिति करेगा।

BSI की अन्य पहलें:

- **BSI-केयर एप**
    - इस एप के माध्यम से उपभोक्ता ISI-चिह्नित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जाँच कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- **कोविड-19 मानक**
    - BSI ने कवर-ऑल और वेंटलिेटर के लिये कोविड-19 मानकों को विकसित किया है और एन95 मास्क तथा सर्जिकल मास्क के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानदंड जारी किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप ISI-चिह्नित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPEs) का उत्पादन बढ़ा है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश**
    - BSI मानकों को अनिवार्य बनाने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- **उपभोक्ता जुड़ाव के लिये पोर्टल**
    - BSI उपभोक्ता जुड़ाव को लेकर एक पोर्टल विकसित कर रहा है, जो उपभोक्ता समूहों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उनके अनुमोदन एवं शिकायत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो

- इसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिये स्थापित किया गया है।
- यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- एक नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को अक्तूबर 2017 से लागू किया गया है।
    - यह अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bis-sdo-recognition-scheme